## उत्तर पूर्वी राज्यों में अ0 ज0 प0 विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम

पूर्व में राज्य सरकारों द्वारा अ0 ज0 प0 के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम ( सीएसएस ) थी जिसके तहत उत्तर पूर्वी राज्यों को 100 प्रतिशत और अन्य राज्यों को 90 प्रतिशत अनुदान केन्द्र द्वारा मुहैया किया जा रहा था। इस योजना ने विभिन्न राज्यों को अ0 ज0 प0 से संबंधित परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए सक्रिय किया और 10वीं योजना के दौरान 106.75 करोड़ रु0 की लागत पर 15 राज्यों की 35 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई तथा 52.84 करोड़ रु0 की रकम संबंधित राज्यों को भुगतान भी किया गया इसके बावजूद योजना आयोग ने वर्ष 2007–08 से इस योजना को बंद कर दिया। हालांकि उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के लिए इस योजना को योजना आयोग द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में वर्गीकृत करके संस्वीकृत दे दी गयी है एवं इस योजना से संबंधित गाइडलाइन्स (Guidelines) को मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को परिचालित भी कर दिया गया है ताकि वे अपने राज्य के अ0 ज0 प0 से संबंधित मंत्रालय को ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं को इस योजना के तहत संस्वीकृत हेतु भेजने का निर्देश दे सकें।